न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

A14

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 145 / 2014

1. पुष्पा देवी पुत्री रामेश्वरी नाबालिग जाति नायक निवासी जोगीवाला तहसील सादूलशहर संरक्षक ताई (हितबद्ध) शर्बवती पत्नी श्योकरण जाति नायक निवासी जोगीवाला तहसील सादूलशहर

– – वादीया

–:: बनाम ::–

1. पृथ्वीराम पुत्र सहीराम जाति नायक साकिन 17 एम.एल. पठानवाला
2. पालाराम पुत्र सहीराम जाति नायक साकिन 17 एम.एल. पठानवाला
3. सुभाष पुत्र सहीराम जाति नायक साकिन 17 एम.एल. पठानवाला
4. परमेश्वरी पुत्री ~~पुत्र~~ सहीराम जाति नायक साकिन जोगीवाला तहसील सादूलशहर
5. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता	वादीया
2. श्री दुर्गाराम अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 2
3. श्री बलकरण सिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 व 3

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 4.11.16

वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

वादीया की माता रामेश्वरीदेवी का देहान्त हो चुका है वादीया रामेश्वरीदेवी की एक मात्र उत्तराधिकारी है। चक 17 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/2, 4/1, 7, 14, 17 23/2 व 24 की 1.3660 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में भागोदेवी पत्नी सहीराम, पृथ्वीराम, पालाराम, सुभाष तथा परमेश्वरी रामेश्वरो पुत्रीया सहीराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है। वादीया की नानी भागोदेवी व माता रामेश्वरी का देहान्त हो चुका है। जो वादिया का 1/5 हिस्सा बनता है। वादिया की माता का तलाक होनें के पश्चात भागाराम से विवाह हुआ जिसके नुत्फे से वादिया का जन्म हुआ तथा इससे पूर्व वादिया की माता का एक विवाह चाननराम पुत्र गंगाराम से किया हुआ था। वादिया नें प्रतिवादीगण से 1/5 हिस्सा का विभाजन कर सके हिस्सा का कब्जा मांगा तो टाल मटोल करते रहे।

अतः उक्त विवादास्पद भूमि में 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित कर खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे। उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसनें अपनी जमीन बेच दी है, उसके पास अब कोई भूमि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 की और से जबाब प्रस्तुत हुआ कि भूमि का विभाजन कर दिया जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। वादिया की ओर साक्ष्य में दिनांक 31.08.2015 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लगातार 2

उभयपक्ष कि विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई वादीया के अधिवक्ता नें बहस में तर्क किया कि वादीया का उक्त विवादास्पद भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि है भूमि मुश्तर्का खाते में है। अतः प्राथमिक डिक्री जारी कर प्रस्ताव तहसील से मंगवाये जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 87/66 मुरब्बा नम्बर 11 की 1.3660 हैक्टर भूमि मुश्तर्का खाता भागोदेवी पत्नी सहीराम, पृथ्वीराम, पालाराम, सुभाष तथा परमेश्वरी रामेश्वरी पुत्रीया सहीराम के नाम से है। वादीया का प्रस्तुत साक्ष्य/जबाब में प्रतिरोध नहीं होनें से 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.10.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्री गंगानगर से अच्छी बुरी एवम् कब्जा के अनुसार वादीया का हिस्सा मय नक्शा वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के (सरकारी) नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुए प्रस्ताव मंगवाये गये।

उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2015 की पालना में तहसीलदार श्रींगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 2147 दिनांक 24.06.2016 को भिजवाई गई रिपोर्ट में कथन किया गया कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट चक 17 एम.एल. की चालू जमाबन्दी 2068–71 के खाता संख्या 87 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 3/2 का 0.114, 4/1 का 0.152, 7/.253, 14/.253, 17/.253, 23/2 का 0.088 व 24/.253 कुल 1.3660 हैक्टर दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से किला नम्बर 3/2 का 0.114, 4/1 का 0.152, 7/.240, 14/.240, 17/.253, व 24/.253 कुल 1.152 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। तथा किला नम्बर 7/0.013, खाला 14/0.013, खाला तथा 23/2 का 0.088 हैक्टर नहरी रकबा दर्ज है। मौका पर उपरोक्त 1.3660 हैक्टर रकबा पर आबादी बसी हुई है। किला नम्बर 23/2 का 0.088 नहरी रकबा पर चार दिवारी व एक कमरा बनाकर निर्माण किया हुआ है। जिस पर परमेश्वरी पुत्र सहीराम का कब्जा है।

मौका पर काश्त योग्य कोई कृषि भूमि नहीं है। अधिकतर रकबा पर आबादी बसी हुई है। अतः खाता विभाजन का प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री बनाया जाना सम्भव नहीं है।

तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के सन्दर्भ में वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तहसीलदार श्रींगगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 2147 दिनांक 24.06.2016 का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट मौके पर 0.088 हैक्टर भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि पर आबादी बसी होनें तथा 0.088 हैक्टर भूमि पर परमेश्वरी पुत्री सहीराम का कब्जा है परमेश्वरी का भी इस भूमि में 1/5 हिस्सा है, जो कि वादी के चाहे गये हिस्से से अत्यन्त कम है। साथ ही परमेश्वरी का खुद का हिस्सा है, इसलिये उसके कब्जे की भूमि अन्य को दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः वादी द्वारा चाही गई कृषि भूमि उपलब्ध नहीं होनें व वादी का किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं होनें की स्थिति में वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होनें के कारण वाद वादीया खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक ......4.11.16...... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर